

नकारा/अनुपयोगी पार्ट्स हेतु प्रमाण-पत्र

1. सामान के निस्तारण की प्रक्रिया नियकों में कोई त्रुटि नहीं हुई है। जिसके संशोधन के लिये उच्च अधिकारियों के आदेशों की आवश्यकता है।
2. किसी भी राज्य कर्मचारी से ऐसी कोई गम्भीर उपेक्षा नहीं हुई है, जिससे उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है।
3. चोरी गबन, जालसाजी या कपट से कोई हानि नहीं हुई है।
4. सूची में अंकित सामान निरन्तर उपयोग में लेते हुये अनुपयोगी हुये है, एवम् पुनः मरम्मत योग्य नहीं है। तथा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सही है। जिनका उपयोग काल निर्धारित नहीं है।
5. उक्त सूची में अंकित सामग्री अनुपयोगी घोषित योग्य है।

हस्ताक्षर संबंधित अधिकारी

क्रमांक:

दिनांक.....

कार्यालय-आदेश

.....का नाकारा/अनुपयोगी मोटर पार्ट्स, टायर ट्यूब्स, एवम् बैट्री की कीमत रुपये.....सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियम पार्ट-III के नियम 36 (B)के अनुसार प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग रहते हुये नाकारा सामान हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर नाकारा घोषित कर स्टेट मोटर गैरज विभाग, जयपुर में भिजवाने/जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

क्रमांक: सम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-